

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

आदेश

कमॉक / 524 / अति.जि.दण्डा. / 2020

दुर्ग, दिनांक 23 जुलाई, 2020

कार्यालयीन आदेश कमॉक 522 / अति.जि.दण्डा. / 2020 दुर्ग, दिनांक 20 जुलाई, 2020 के द्वारा कोरोना वायरस (COVID 19) के संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण हेतु आदेश प्रसारित किया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 23.7.2020 से 29.7.2020 तक सम्पूर्ण लॉकडाउन किया गया है। उक्त लॉकडाउन के पालन हेतु जिले के समस्त नगरीय क्षेत्र एवं उससे लगी 17 प्रतिबंधित ग्राम पंचायतों के समस्त शासकीय/अशासकीय/ अर्धशासकीय निजी बैंक कार्यालय को 24.7.2020 से केवल दोपहर 3:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



*(Signature)*

(डॉ० सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,

दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 23 जुलाई, 2020

कमॉक / 524 / अति.जि.दण्डा / 2020  
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवारायपुर अटल नगर, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, नवारायपुर अटल नगर, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, भिलाई को सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग/भिलाई/रिसाली/भिलाई चरोदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. सर्व अनुविभागीय अधिकारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. उप संचालक, जनसंपर्क, दुर्ग को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
9. सर्व तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

*(Signature)*

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,

जिला दण्डाधिकारी

दुर्ग